न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 32/2019 Gcms No. 2019/00160
दायरा तिथि : 28.05.2019
निर्णय दिनांकः 28-09-22

वादी :–
रूगाराम पुत्र पुनाजी जाति सीरवी
निवासी बाली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादी :–
उमाराम पुत्र दरगाजी जाति सीरवी
निवासी बाली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

उपस्थितिः–
1. श्री नेकाराम चौधरी ..... अभिभाषक वादी की ओर से से
2. श्री हनुमानसिंह चौहान ..... अभिभाषक प्रतिवादी की ओर से

–:: निर्णय ::–

दिनांक 28-09-22

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व प्रतिवादी पेश कर ग्राम बाली तहसील बाली में धारित की जा रही खातेदारी भूमि खसरा नंबर 494 रकबा 0.28 हैक्टर में प्रतिवादी द्वारा अवैध तोर पर वादी के शांतिपुर्ण काश्त व कब्जे में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादी के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। वादी द्वारा वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि का नक्शा प्रदर्श–01, जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–02, खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रति संवत् 2072, 2073, 2074 की प्रति प्रदश–03 पेश की गई। तथा इन अभिलेखीय साक्ष्यों के अलावा बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह वादी स्वयं P.W- 01 के बयान कलमबद्ध कराये गये। वादी के वाद में प्रतिवादी को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी की ओर से अपने अधिवक्ता श्री हनुगानसिंह चौहान के माध्यम से जवाबदावा पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी के खातेदारी के पास में वादी की खातेदारी भूमि स्थित है, परन्तु उक्त वादग्रस्त भूमि पर पिछले 10 वर्षो से वादी का काश्त व कब्जा नही रहा है। जिससे वर्ष 2019 के माह गई के प्रथम सप्ताह में वादी के खातेदारी भूमि में जबदरस्ती कब्जा करने के तथ्य मनगढन्त है, तथा प्रकरण में वाद हेतूक ही उत्पन्न नहीं होने से वादी का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी पक्ष की ओर से बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह प्रतिवादी स्वयं D.W- 01 के बयान कलमबद्ध कराये गये। दोनो पक्षो की साक्ष्य के पश्चात् वकील वादी श्री नेकाराम चौधरी व वकील प्रतिवादी श्री हनुमानसिंह चौहान की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रकरण में कायम वाद बिन्दुओ को निम्नानुसार निर्णित किया जाता हैः–

1. **आया वादग्रस्त भूमि बाली के खसरा नंबर 494 रकबा 0.28 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि होने से प्रतिवादी के विरूद्व वादी सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री पाने का अधिकारी हैं ?**.....वादी

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व वादी का था। वादी द्वारा अपने वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में प्रस्तुत जमाबंदी प्रदर्श–02 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार बाली के खसरा नंबर 494 रकबा 0.28 हैक्टर के खातेदार रगाराम पुत्र पुनाजी कौम सीरवी दर्ज होने की पुष्टि होती है। जिससे यह मानने में कोई आपत्ति नहीं हैं कि वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार है। विधि के प्रावधानो अनुसार एक खातेदार का उसकी खातेदारी भूमि पर काश्त व कब्जा माना जाता है। इसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी संवत् 2072, 2073, 2074 में दर्ज इन्द्राजो से भी बखूबी होती है। उक्त तथ्य को वादी के मौखिक साक्ष्य वादी स्वयं P.W- 01 के बयान से भी साबित कराया है। जिसके खण्डन स्वरूप प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई अभिलेखीय साक्ष्य पेश नहीं किया है। प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य गवाह प्रतिवादी स्वयं D.W- 01 के बयानो से भी इस तथ्य का खण्डन नहीं किया गया। जिससे वादग्रस्त भूमि बाली के खसरा नंबर 494 रकबा 0.28 हैक्टर वादी के खातेदारी की भूमि होने से प्रतिवादी के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री पाने का अधिकारी है। उक्त विवेचन से तनकी संख्या–01 वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्व में निर्णित की जाती है।

पेज लगातार.....02

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 32/2019 Gcms No. 2019/00160
अनवान रूघाराम बनाम उमाराम
वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

2. **आया वादग्रस्त भूमि पर विगत दस वर्षो से वादी का कोई कब्जा काश्त नहीं हैं तथा न ही माह मई 2019 के प्रथम सप्ताह में प्रतिवादी से किसी प्रकार की मुलाकात हुई है जिससे वाद हेतुक के अभाव में वादी का वाद खारिज योग्य है ?.....प्रतिवादी**

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व प्रतिवादी पक्ष का था। वादी पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यो के अनुसार यह प्रमाणित हैं कि बाली स्थित भूमि खसरा नंबर 494 रकबा 0.28 हैक्टर की भूमि वादी की खातेदारी भूमि है। जिस पर वर्ष 2072, 2073, 2074 के वर्षो में किय गये काश्त के साक्ष्य के तौर पर खसरा गिरदावरी की प्रतियॉ प्रस्तुत कर दी गई है, जो इस तथ्य की पुष्टि करता है कि वादी का वादग्रस्त भूमि पर काश्त व कब्जा है। प्रतिवादी पक्ष ने अपने जवाब में यह जरूर वर्णित किया कि विगत् 10 वर्षो में वादी का उक्त भूमि पर किसी प्रकार का काश्त व कब्जा नहीं है, परन्तु इसकी पुष्टि में न तो कोई अभिलेखीय साक्ष्य पेश किया गया एवं न ही मौखिक साक्ष्य गवाह प्रतिवादी स्वयं D.W- 01 ही अपने बयानो इस तथ्य की पुष्टि कर पाये है। जिससे तनकी संख्या 01 में किये विवेचन के अनुसार उक्त तनकी भी प्रतिवादी के विरूद्व व वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

3. अनुतोष ?

तनकी संख्या 01 व 02 वादी के पक्ष में निर्णित हो जाने से वादी अन्य कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं रहता है।

–:: निर्णय ::–

तनकी संख्या 01 व 02 में किये निर्णय के अनुसार वादग्रस्त भूमि बाली के खसरा नंबर 494 रकबा 0.28 हैक्टर वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि होने से प्रतिवादी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत सार्वकालिक निषेधाज्ञा के जरिये वादी के खातेदारी की भूमि में दखलन्दाजी से रोका जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 28-09-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.

वादी :–

रूगाराम पुत्र पुनाजी जाति सीरवी
निवासी बाली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादी :–

उमाराम पुत्र दरगाजी जाति सीरवी
निवासी बाली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 32/2019 Gcms No. 2019/00160
अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् तनकी संख्या 01 व 02 में किये निर्णय के अनुसार वादग्रस्त भूमि बाली के खसरा नंबर 494 रकबा 0.28 हैक्टर वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि होने से प्रतिवादी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत सार्वकालिक निषेधाज्ञा के जरिये वादी के खातेदारी की भूमि में दखलन्दाजी से रोका जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28-09-22 को जारी किया गया।

मोहर

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना.)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner